भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: †944

दिनांक 08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए खाद्य उत्पादों पर क्यूआर कोड

†944. श्री देवजी पटेल:

श्री दिलीप शइकीया:

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहुंच बढ़ाने हेतु खाद्य उत्पादों पर क्यूआर कोड शामिल करने की 'एफएसएसएआई की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पहल के कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?_

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक सूचना की पहुंच बढ़ाने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 12.10.2023 को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को ऐसे प्रावधान शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पोषण संबंधी जानकारी तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। इसे प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन उत्पाद लेबल पर त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड शामिल करना है।

सूचना की पहुंच बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग स्वैच्छिक प्रकृति का है और एफबीओ को अपने खाद्य लेबल डिजाइन करते समय समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त एडवाइजरी जारी की गई थी।

******